राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग विकलांग पेंशनधारी को स्वयं का व्यवसाय आरम्भ करने हेतु एकमुश्त राशि रुपये 15000/— प्राप्त करने का आवेदन पत्र

	निदेशक / सहायक निदेशक /	
	ा परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिक जिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,	गरी,
विषय	ा : एकमुश्त राशि रुपये 15000/— <u>ए</u>	ग्राप्त करने का आवेदन पत्र।
	उपरोक्त विषय में निवेदन है कि	ं मैं पेंशनधारी निःशक्त व्यक्ति / स्त्री हूं। मैं अपना व्यवसाय करने
हेतु ः	अपनी विकलांग पेंशन बंद करवा कर	् एकमुश्त राशि रुपये 15000 / – प्राप्त करना चाहता / चाहती हूँ
मेरा	विवरण निम्न प्रकार है :	
1	नाम	
2	पिता / पति का नाम	
3	आयु	
4	निवासी (पूर्ण पता)	
5	पी.पी.ओ. नंबर (प्रति संलग्न करें)	
6	विकलांगता का प्रकार	प्रतिशत
7	(विकलांगता प्रमाण पत्र संलग्न करें) व्यवसाय जो करना चाहता है	
8	व्यवसाय का स्थान एवं पता	
	व्यवसाय की अनुमानित लागत	
9	9	
10	शिक्षा	
		आवेदक के हस्ताक्षर
		(पूर्ण नाम / पता)
में		पिता / पति
निवा ^न घोषप	सी	

आवेदक के हस्ताक्षर

विकल्प पत्र (घोषणा)

मैं
निवासी
घोषणा करता / करती हूँ कि मेरा पीपीओ नम्बर
है तथा
संख्या बैंक / पोस्ट ऑफिस का नाम
है।
मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मैं राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार स्वयं का व्यवसाय
करना चाहता / चाहती हूँ। इसके लिए मैं रुपये 15000 / — (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) प्राप्त
करना चाहता / चाहती हूँ। यह राशि प्राप्त करने के पश्चात् मैं मेरी विकलांग पेंशन की राशि प्राप्त
करने का भविष्य में कभी भी दावा नहीं करूंगा / करूंगी तथा मेरे आश्रित भी इस राशि पर अपन
अधिकार नहीं रखेंगे। मैं मेरा पीपीओ नम्बर (मूल) जमा करवाकर इसे अपर्न
सहमति से निरस्त करवाना चाहता / चाहती हूँ।
उक्त घोषणा मैंने अपनी स्वेच्छा से होश हवास एवं बगैर किसी दबाव के की है।
संलग्न : मूल पीपीओ नम्बर।
हस्ताक्षर घोषणाकर्ता
पूर्ण नाम एवं पता
पीपीओ नम्बर
प्रमाणित

नोटेरी पब्लिक